भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 636
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण

636. श्री नवसकनी के. :
श्री सी.एन.अन्नादुरई:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत अब तक औपचारिकीकृत किए गए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के क्षेत्रीय वितरण का ब्यौरा क्या है तथा सरकार किस प्रकार पहुंच में असमानताओं, यदि कोई हों, को दूर कर रही है;

(ग) तमिलनाडु में ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों को उनके बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सहायता करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ड.) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत ऋण-सम्बद्ध राजसहायता से लाभान्वित उद्यमों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के स्वामियों तथा श्रमिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): पीएमएफएमई ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत 31,978 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप दिया गया है।

(ख): योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा सके। योजना के तहत स्वीकृत क्षेत्रवार लाभार्थियों का विवरण **अनुबंध -I** में दिया गया है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) तमिलनाडु सहित देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफ़एमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चालू है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

(घ) और (ड़): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। देश भर में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 1,22,512 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31 जनवरी 2025 तक तमिलनाडु राज्य के लिए 14,464 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

(च): पीएमएफएमई योजना के तहत, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतित प्रशिक्षण पोर्टल के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक कुल 92,677 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है । पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुशंसित सभी आवेदकों अर्थात व्यक्तियों और समूहों (एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों) के लिए खाद्य प्रसंस्करण ईडीपी प्रशिक्षण और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में लगे प्रारंभिक पूंजी के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लाभार्थियों को प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 06.02.2025 को "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना के अंतर्गत अनुमोदित क्षेत्रवार लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण
1	अरुणाचल प्रदेश	70
2	असम	2316
3	बिहार	20297
4	छत्तीसगढ	852
5	झारखंड	3066
6	मणिपुर	282
7	मेघालय	175
8	मिजोरम	38
9	नगालैंड	319
10	ओडिशा	1870
11	सिक्किम	61
12	त्रिपुरा	156
13	पश्चिम बंगाल	111
	पूर्वी क्षेत्र	**29613**
14	चंडीगढ़	5
15	दिल्ली	266
16	हरयाणा	1287
17	हिमाचल प्रदेश	1767
18	जम्मू और कश्मीर	1212
19	लद्दाख	78
20	पंजाब	2558
21	उतार प्रदेश।	14917
22	उत्तराखंड	805
	उत्तर क्षेत्र	**22895**
23	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18
24	आंध्र प्रदेश	6127
25	कर्नाटक	5825
26	केरल	5690
27	लक्षद्वीप	
28	पुदुचेरी	151
29	तमिलनाडु	14464
30	तेलंगाना	6599
	दक्षिण क्षेत्र	**38874**
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10
32	गोवा	96
33	गुजरात	634
34	मध्य प्रदेश	8010
35	महाराष्ट्र	21473
36	राजस्थान	907
	पश्चिम क्षेत्र	**31130**
	कुल योग	**122512**

अनुबंध - II

दिनांक 06.02.2025 को "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के भाग (घ) और (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वैयक्तिक *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारंभिक *पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) सामान्य *अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर उपयोग हेतु अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

अनुबंध - III

दिनांक 06.02.2025 को "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के भाग (घ) और (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 जनवरी 2025 तक पीएमएफएमई योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की वर्षवार और राज्यवार सूची का विवरण

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	कुल स्वीकृत
1	अंडमान और निकोबार निकोबार	6	4	8	0	18
2	आंध्र प्रदेश	306	2808	2237	776	6127
3	अरुणाचल प्रदेश	1	21	28	20	70
4	असम	39	659	633	985	2316
5	बिहार	91	2923	10284	6999	20297
6	चंडीगढ़	5	0	0	0	5
7	छत्तीसगढ	24	211	350	267	852
8	दादर और नगर हवेली	0	2	5	3	10
9	दिल्ली	21	81	103	61	266
10	गोवा	2	42	23	29	96
11	गुजरात	5	103	286	240	634
12	हरियाणा	74	329	606	278	1287
13	हिमाचल प्रदेश	156	603	550	458	1767
14	जम्मू और कश्मीर	35	170	480	527	1212
15	झारखंड	0	198	1527	1341	3066
16	कर्नाटक	259	1823	2011	1732	5825
17	केरल	59	807	2573	2251	5690
18	लद्दाख	6	26	33	13	78
19	मध्य प्रदेश	237	1426	2692	3655	8010
20	महाराष्ट्र	636	6040	9493	5304	21473
21	मणिपुर	180	67	13	22	282
22	मेघालय	5	26	44	100	175
23	मिजोरम	0	7	13	18	38
24	नागालैंड	0	25	155	139	319
25	ओडिशा	149	620	627	474	1870
26	पुदुचेरी	1	58	54	38	151
27	पंजाब	134	837	1183	404	2558
28	राजस्थान	98	192	242	375	907
29	सिक्किम	2	31	20	8	61
30	तमिलनाडु	288	3717	7666	2793	14464
31	तेलंगाना	163	2067	3500	869	6599
32	त्रिपुरा	7	43	63	43	156
33	उत्तर प्रदेश	212	2304	6654	5747	14917
34	उत्तराखंड	17	222	416	150	805
35	पश्चिम बंगाल	0	0	22	89	111
	कुल	**3218**	**28492**	**54594**	**36208**	**122512**

*****